(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALUKARJUN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

'नो एलोकेशन फार एस०वाई०एल० प्रोजेक्ट' शीर्षक वाला समाचार

221. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अगस्त, 1991 के "ट्रिब्यून" में "नो एलोकेशन फार एस०वाई०एल० प्रोजेक्ट" शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने लंबे समय से निर्माणाधीन उक्त परियोजना को पूरा करने के लिये कोई विशेष कदम उठाने का निर्णय किया है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त परियोजना की वास्तविक लागत इसकी वर्तमान अनुमानित लागत की तुलना में काफी कम थी, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना को पूरा करने के लिये अब कितनी समय वधि निर्धारित की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) 1991-92 के दौरान कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी क्योंकि इस कार्य के लिये संशोधित अनुमान समय पर प्राप्त नहीं हुये थे । पंजाब सरकार को वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिये एक भारत सरकार द्वारा लंबित अदायगी किये जाने तक उनके अपने संसाधनों से व्यय करने की सलाह दी गई है ।

(ग) पंजाब सरकार को शेष कार्य पूर्ण करने के लिये उपयुक्त अभिकरण/अभिकरणों को लगाने की सलाह दी गई है ।

(घ) परामर्शदात्री समिति द्वारा 1985 में स्वीकृत 272 करोड़ रुपये की परियोजना की लागत की तुलना में 1990 के मूल्य स्तर पर अद्यतन स्वीकृत संशोधित लागत 499 करोड़ रुपये है । लागत में वृद्धि के मुख्य कारण मूल्यों में वृद्धि, संविदाओं पर पंचाट-निर्णय, कार्य के दायरे में वृद्धि और 1988 की बाढ़ों की क्षतियों के कारण किये गये अनिवार्य उपचारी उपायों के कारण हैं । इन्हें पूर्ण करने का निर्धारित समय नये अभिकरण/अभिकरणों के स्वरूप और उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा जिनको पंजाब सरकार द्वारा लगाया गया जाएगा ।

पीतमपुरा दिल्ली में आवासीय भूखंडों को व्यावसायिक भूखंडों के रूप में बदलना

222. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत महीनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कतिपय अधिकारियों ने पीतमपुरा दिल्ली के अनेकों आवासीय भूखंडों को व्यावसायिक उपयोग में लाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन भूखंडों की कुल संख्या क्या थी और इस प्रकार की अनुमति देने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी पिछले एक वर्ष के दौरान भूमि के उपयोग के परिवर्तन की अनुमति दी गयी है ;

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के नाम क्या-क्या हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र में भूखंडों की संख्या कितनी-कितनी है और क्या व्यावसायिक भूखंडों के लिये निर्धारित राशि को उन भूखंडों के मालिकों से वसूल किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं और कहां-कहां पर कितने-कितने भूखंडों के मालिकों ने व्यावसायिक प्लाटों के लिये निर्धारित राशि को दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जमा नहीं कराया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने पीतमपुरा में ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) 1-1-90 से 31-12-90 की अवधि के दौरान विशेष अपील पर 26 परिसरों को, विवरण-I के अनुसार, अस्थाई अनुमति दी गयी । विवरण-II में दर्शाये गये 10 मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण को संयोजन शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है और भुगतान न करने वालों को स्मरण कराया गया है ।

विवरण-I

1-1-1990 से 31-12-1990 की अवधि के दौरान विशेष अपील पर दी गई स्थायी अनुमति वाले परिसरों के नम्बर और क्षेत्र को दर्शाने वाली सूची

क्र० सं०	प्लाट सं०	क्षेत्र	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	ए-1/284	सफदरजंग डवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली	
2.	42	गोल्फ लिंक, नई दिल्ली	
3.	सी-530	ई पी डी पी कालकाजी, नई दिल्ली	
4.	सी-46	साऊथ एक्सटेंशन-II, नई दिल्ली	
5.	बी-11	कालकाजी, नई दिल्ली	
6.	12	हेली रोड, नई दिल्ली	
7.	50	गोल्फ लिंक, नई दिल्ली	
8.	ई 355	निर्माण विहार, नई दिल्ली	
9.	9/1	इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली	
10.	के-13	हौजखास, नई दिल्ली	
11.	67	विज्ञान विहार, नई दिल्ली	
12.	2/3	कालकाजी, नई दिल्ली	
13.	74	सुन्दर नगर, नई दिल्ली	

1	2	3	4
14.	20	गोल्फ लिंक, नई दिल्ली	
15.	बी–29	पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली	
16.	डी–9	महारानी बाग, नई दिल्ली	
17.	बी–66	आनन्द विहार, नई दिल्ली	
18.	बी–9	गुजरांवाला टाऊन, नई दिल्ली	
19.	ए–1/77	सफदरजंग डवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली	
20.	एफ–47	साऊथ एक्सटेंशन–II, नई दिल्ली	
21.	एफ–48	साऊथ एक्सटेंशन–II, नई दिल्ली	
22.	डी–25–डी	साऊथ एक्सटेंशन–II, नई दिल्ली	
23.	डी–1029	फैन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली	
24.	बी–3	सी आर के० रोड, नई दिल्ली	
25.	बी–2/17	पश्चिम विहार, नई दिल्ली	
26.	13	पालम मार्ग, नई दिल्ली	

विवरण–II

1–1–1990 से 31–12–1990 की अवधि के दौरान विशेष अपील पर दी गई स्थायी अनुमति वाले उन परिसरों के नम्बर तथा क्षेत्र दर्शाने वाली सूची जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण को संयोजन शुल्क का भुगतान नहीं किया है

क्र० सं०	प्लाट संख्या	क्षेत्र	अभ्युक्ति
1.	ए–1/284	सफदरजंग डवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली	
2.	डी–11	कालकाजी, नई दिल्ली	
3.	के–13	हौजखास, नई दिल्ली	
4.	74	सुन्दर नगर, नई दिल्ली	
5.	एफ–47	एन डी एस सी–II, नई दिल्ली	
6.	एफ–48	–वही–	
7.	डी–25 डी	–वही–	
8.	ए1/77	सफदरजंग डवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली	
9.	बी–66	आनन्द विहार, नई दिल्ली	
10.	डी–1019	फैन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली	